न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
64 / 2018	06.06.2018	01.04.2022

अनवान

1. उदयराम पिता रामलाल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी बालारडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. राधेश्याम पिता उदयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी बालारड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. अंजनीदेवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी बालारड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. गीता देवी पत्नी उदयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी बालारड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. पारसदेवी पत्नी पूरणमल जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी बालारड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता नगजीराम जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मुकुन्द पिता नगजीराम जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. लक्ष्मण पिता नगजीराम जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. गोवर्धन पिता प्यारा जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. रंगलाल पिता प्यारा जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. मोतीलाल पिता प्यारा जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. फतहलाल पिता किशनलाल जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. ख्यालीलाल पिता नगजीराम जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. रतनलाल पिता किशनलाल जाति काछी, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. भगवतीलाल पिता लालूराम व्यास, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी व्यास मौहल्ला कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
11. शंकरलाल पिता रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.07.20 12:17:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

12. राजुलाल पिता रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

13. भैरूलाल पिता रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी काछीयाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

14. रमेश पिता मदन चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) की मृत्यु के बजाय

    14/1 अनिल पिता रमेश चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

    14/2 मनोज पिता रमेश चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

    14/3 विष्णुशंकर पिता रमेश चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

    14/4 हरिश पिता रमेश चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

    14/5 शकुन्तला बेवा रमेश चोटीया जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी चौटीया के भैरूजी के पास कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–	अधिवक्ता श्री एन0एल0जाट	प्रार्थीगण
	अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव	अप्रार्थी संख्या 1, 4
	अधिवक्ता श्री अनिल नामधर	अप्रार्थी संख्या 10

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में स्थित आराजीयात आराजी संख्या 6787, 6788, 6797, 6798, 6799, 6800 कुल किता 6 कुल रकबा 4.99 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद हो रहा है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख [illegible] जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 02.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,11, 12, 13 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 14 के फौत होने से प्रार्थना आदेश 22 नियम 4 का प्रस्तुत हुआ जिस पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.07.20 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

व 4 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात पटवार हल्का कपासन व पटवार हल्का बालारडा की सीमा पर स्थित है जिससे दोनो पटवार हल्के के पटवारी की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी आराजी की पत्थरगढी हेतु प्रकरण संख्या 25/2017 निर्णय दिनांक 08.04.2017 के निर्णय की पालना में वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न की गयी। जिससे पत्थरगढी नहीं हो पायी। उक्त आदेश निर्णित नहीं किया जावें। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, साथ ही उक्त पत्थरगढी आदेश के साथ प्रकरण संख्या 25/2017 की पत्थरगढी आदेश की पालना की जावे जो हमे आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में स्थित आराजीयात आराजी संख्या 6787, 6788, 6797, 6798, 6799, 6800 कुल किता 6 कुल रकबा 4.99 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। साथ ही उक्त आराजी पटवार हल्का कपासन व बालारडा की सीमा पर होने से दोनो पटवार हल्को की उपस्थिति साथ ही न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2017 की पालना भी उक्त आदेश के साथ की जावें। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में अ[illegible]प से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर [illegible] को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद [illegible]यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.07.20 12:47:09 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official